न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) टाण्डा, अम्बेडकरनगर।

मूलवाद संख्या- 108/12

रामकरन---बनाम--- राजनाथ आदि

निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज सं०-100 ग 2

दिनांक-09.09.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज सं०-100 ग 2 पेश है।

प्रार्थना पत्र कागज सं०-100 ग 2 प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं०-1 ता 3 द्वारा इस आशय का दिया गया है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 15.12.2020 को प्रतिवादी सं०-4 व 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया गया। उक्त आदेश को अपास्त करने का प्रार्थना पत्र 93 ग 2 दिया गया जिस पर प्रतिवादी सं०-4 व 5 द्वारा बल न देने के कारण प्रतिवादी सं०-4 व 5 का प्रार्थना पत्र दिनांक 22.03.2021 को खारिज कर दिया गया तभी से वाद एकपक्षीय साक्ष्य चल रहा है जबकि प्रतिवादी सं०-1 ता 3 के विरूद्ध न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित नहीं किया गया है और न ही प्रतिवादी सं०-1 ता3 जानबूझकर कभी अनुपस्थित हुआ है। उपरोक्त के प्रकाश में वादी व उनके गवाहन से जिरह करने की याचना प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं०-1 ता 3 द्वारा की गयी।

वादी द्वारा विलम्ब के बावत मौखिक आपत्ति की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रतिवादी सं०-1 ता 3 द्वारा वादी व उनके गवाहन से जिरह करने हेतु यह प्रार्थनापत्र कागज सं० 100 ग 2 प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है। प्रतिवादी सं०-1 ता 3 का कथन है कि दिनांक 15.12.2020 को प्रतिवादी सं०-4 व 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया था न कि प्रतिवादी सं०-1 ता 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया है। आदेश दिनांकित 15.12.2020 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि केवल प्रतिवादी सं०-4 व 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया है। प्रतिवादी सं०-1 ता 3 द्वारा जानबूझकर कोई लापरवाही नहीं की गयी थी। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित नहीं करना चाहिए। वादी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः सुनवाई का अवसर देने तथा मामले को गुणदोष पर पूर्ण व अन्तिम रूप से निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र कागज सं०-100 ग 2 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र कागज सं०-100 ग 2 स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी सं०-1 ता 3 को वादी व उसके गवाहन से जिरह करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली वास्ते जिरह पी०डब्ल्यू०-1 दिनांक -16.09.2021 को पेश हो।

(अजय कुमार मिश्र)
सिविल जज (जू०डि०)टाण्डा,
अम्बेडकरनगर।
जे०ओ०कोड यू०पी० 2520